



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112022-240200
CG-DL-E-11112022-240200

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 722]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 10, 2022/कार्तिक 19, 1944

No. 722]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 10, 2022/KARTIKA 19, 1944

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

(यूएसओएफ)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 03 नवंबर, 2022

सा.का.नि. 810(अ).—केंद्र सरकार भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय तार नियम, 1951 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों को भारतीय तार (संशोधित) नियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 525, उप-नियम (2), खंड (iv), उप-खंड (क) में शब्दों और अंकों "27 मार्च, 2017 से पांच साल की अवधि के लिए" के स्थल पर शब्द और अंक "31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 30-166/2011-बीबी-यूएसओएफ (पीटी. I)]

आनंद सिंह, संयुक्त सचिव (टी), दूरसंचार विभाग

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 में तारीख 6 अक्टूबर, 1951 के अधिसूचना संख्या एसआर 1546 के तहत प्रकाशित किए गए थे और इन्हें पिछली बार अधिसूचना संख्या जीएसआर 793(अ) के तहत संशोधित कर भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 21 अक्टूबर, 2022 में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)
(USOF)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2022

G.S.R. 810(E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (Amendment) Rules, 2022.
(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Telegraph Rules, 1951, in rule 525, in sub-rule (2), in clause (iv), in sub-clause (a), for the words and figures “for a period of five years from the 27th March, 2017”, the words and figures, “for a period upto the 31st March, 2025” shall be substituted.

[F No. 30-166/2011-BB-USOF (PT.I)]

ANAND SINGH, Jt. Secy. (T), DoT

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, part II, section 3, *vide* notification number SR 1546 dated the 6th October, 1951 and lastly amended *vide* notification number GSR. 793(E) was published in the gazette of India, Part II Section 3, Sub-section (i), dated the 21st October, 2022.